न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2022/637

1. श्रवण पुत्र रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी हाडोता तहसील चौमू जिला जयपुर ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर अपील संख्या 03/2021 उनवानी श्रवण बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28/9/2022 एवं तहसीलदार चौमू मिसल संख्या 11/2020 दिनांक 02.09.2020

उपस्थित

1. श्री एस.जे.गिरि वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—25.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट श्रवण पुत्र रामेश्वर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष वाके ग्राम हाडोता तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 1460/1 रकबा 0.03 है0 में से 12 वर्गमीटर भूमि किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर तहसीलदार चौमू द्वारा अतिक्रमण मानते हुये अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने के संबंध में दिये गये आदेश दिनांक 02.09.2020 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौमू के निर्णय को विधि अनुरूप मानते हुये अपील खारिज करने के आदेश दिनांक 28.09.2022 को दिये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रवण पुत्र रामेश्वर जाति कुम्हार द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के निर्णय दिनांक 28.09.2022 एवं तहसीलदार चौमू के निर्णय दिनांक 02.09.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किअपीलान्ट ने एक अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार चौमू के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1460/1 की लगती भूमि खसरा नम्बर 1461 की खातेदारी पूर्व में सुवा पुत्र गुल्लाराम की कब्जे काश्त की भूमि थी जिसमें आवास बने हुये थे जिसकी अपीलान्ट द्वारा जिसका कुल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर है को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25/02/2002 को क्रय कर मौके पर दुकान का निर्माण कराया था दुकानो का निर्माण कराते समय नाप करा कर सन् 2002 में दुकानो का निर्माण कराया था विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1460 की सीमायें की निश्चित चौडाई नही होने से पटवारी हल्का द्वारा गलत नाप करके द्वेषता पूर्वक कार्यवाही की है जो कि कानूनन निरस्तनीय हैं। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर किये ही अपीलान्ट की अपील मनमाने तरीके से खारिज फरमा दी गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात्, कानूनी दृष्टान्त आदि का अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पुनः सीमाज्ञान कराने को दिया गया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04/08/2020 को प्रार्थना पत्र की जांच हेतु गिरदावर हल्का को लिखा गया। गिरदावर हल्का द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई तथा दिनांक 02/9/2020 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अपीलांट को सीमाज्ञान बाबत मौके पर उपस्थित होने का नोटिस नहीं दिया गया। गिरदावर हल्का द्वारा मात्र पटवारी द्वारा मनमाना सीमाज्ञान की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य का मौका न देकर गैर कानूनी रूप से खातेदारी की भूमि से बेदखली हेतु आदेश पारित करने में भूल की है। उक्त तथ्यो को बिना समझे ही अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार चौमू द्वारा पटवारी हल्का हाडैता की रिपोर्ट अनुसार एवं गिरदावार की जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भू राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् विधिअनुरूप कार्यवाही की है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद वाके ग्राम हाडोता तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 1460/1 रकबा 0.03 है0 में से 12 वर्गमीटर भूमि किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ने अवैध रूप से गैर मु0 रास्ते पर पक्की दुकान का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसकी पुष्टि गिरदावर हल्का उदयपुरिया ने अपनी जॉच रिपोर्ट में भी की है। तहसीलदार चौमू के समक्ष अपीलांट द्वारा पुनः सीमाज्ञान करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा पुनः सीमाज्ञान हेतु गिरदावर हल्का को लिखा गया जिस पर गिरदावर हल्का ने प्रकरण में सीमाज्ञान में पूर्व की रिपोर्ट को सही माना है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की जॉच रिपोर्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के अवलोकन के आधार पर एवं अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर ही विधिक प्रकिया का पालन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर के निर्णय दिनांक 28.09.2022 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है **कि:** अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर का निर्णय दिनांक 28.09.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर